

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/29/2016-17

13 जून, 2017

सेवा में,

श्री दीवान राय दादा
मुन्शी मनोज नारायण सक्सेना,
5317, न्यू चन्द्रावल रोड,
घंटाघर, दिल्ली-110007

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

कृपया अपने पत्र जोकि इस सचिवालय में 09.06.2017 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. संख्या 38एफ 105505 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पत्र की विषय-वस्तु इस सचिवालय से संबंधित न होकर दिल्ली सरकार से संबंधित है। वांछित सूचना इस सचिवालय में उपलब्ध नहीं है, आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्री अमिताभ कुण्डू, उप-सचिव/जनसूचना अधिकारी, मुख्य सचिव (दिल्ली) कार्यालय, दिल्ली-110013 से सीधे संपर्क करें। अतः आपका पत्र मूल रूप में दस रूपये का पो.आ. संख्या 38एफ 105505 सहित आपको लौटाया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Narcisus
B/6/17

श्रीमान्

श्रीमान् उपराज्य

भारत सरकार

नई दिल्ली-1

विषय : सूचना का अधिकार 2005

हमारे सविधान में सरकार शहीद का दर्जा किसको प्राप्त होता है, आत्महत्या करने वाला शहीद होता है, क्या उसे एक करोड रु शहीद के आधार पे दिये जा सकते है, दिल्ली मुख्यमन्त्री एक आत्महत्या करने वाले को शहीद शब्द से संबोधित करता है व उसके परिवार को एक करोड रूपया देने का एलान करता है, कानूनी यह कदम उचित है बताये

अदा 10 रु आई.पी.ओ. — दिनांक

मनोज नारायण

संयोजक

दिल्ली रक्षक बल